राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 3 अक्तूबर, 1973

क्रमांक 2509-ज(I)-73/29967. श्री दीना नाथ लांबा, पुत्र श्री बिशन दास, लांबा, 135-ए, माडल टाउन, यमुनानगर तहसील जगाधरी (अम्बाला) की मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम, 1948 की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री दीनानाथ की मुब्लिक 100 रुपये की जागीर, जो कि उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3013-आर. (4)-67/2629, दिनांक 2 अगस्त, 1967 द्वारा मंजूर की गई थी अब श्रीमती सुशीला कुमारी, विधवा श्री दीना नाथ के नाम रबी, 1971 से 150 रुपये वार्षिक की दर से मंजूर की जाती है। इन अधिकारों का प्रयोग सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।

क्रमांक 2502-ज(I)-73/29972.—श्री किशन लाल, पुत्र सुख राम, गांव सियाना, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम, 1948 की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री किशन लाल की मुब्लिक 100 रुपये की जागीर, जो कि उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 860-र (III)-69/8564, दिनांक 22 अप्रैल, 1969 द्वारा मंजूर की गई थी, अब श्रीमति उमरावती विधवा श्री किशन लाल के नाम खरीफ, 1973 से 150 रुपये वार्षिक की दर से मन्जूर की जाती हैं। इन अधिकारों का प्रयोग सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा ।

क्रमांक 2411-ज(I)-73/29991.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उस में आज तक हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्रीमति सुन्दर देवी, विधवा श्याम सुख, गांव झोझू खुर्द, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी को रबी, 1969 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 2543-ज(I)-73/29997.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उस में आज तक हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री मांगे राम, पुत्र रघोनाथ, गांव बडेरा, तहसील लिवानी खेड़ा, जिला भिवानी को रबी, 1968 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 2511-ज(I)-73/30009.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उस में आज तक हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए) (I) तथा 3(I) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री गुरदित्त सिंह, पुत्र हीरा सिंह, गांव फुलेलमाजरा, तहसील व जिला अम्बाला को रबी, 1967 से रबी, 1970 तक 100 रुपये तथा खरीफ, 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

कारीजेण्डम

क्रमांक 2195-ज(I)-73/29985.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 786-ज(I)-73/19075 दिनांक 26 जून, 1973 के क्रमांक 1 के चौथे कालम "गांव व पता" के नीचे "सहिमा" की बजाये "सीहमा" पढ़ा जाये।

क्रमांक 2413-ज(I)-73/30003.—हरियाणा सरकार राजस्व विभाग, की अधिसूचना क्रमांक 1227-ज(I)-73/18207, दिनांक 19 जून, 1973 की तीसरी पंक्ति में खरीफ, 65 की बजाये 'रबी, 1969 पढ़ा जाये।

दिनांक 11 अक्तूबर, 1973

क्रमांक 2614-ज(1)-73/30724.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, की अधिसूचना क्रमांक 4964-ज(1)-72/16664, दिनांक 4/5 जून, 1973, के क्रमांक 6 के आगे कालम चार (गांव व पता) में कुरपुर कलां की बजाये पुरपुर कलां पढ़ा जावे।

गुरचरण सिंह बिन्दरा,
अवर सचिव।